

2236
2/5

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3/11/2002/3/एक

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :- राज्य शासन के विभिन्न विभाग/स्थापनाओं में कार्यरत नियमित शासकीय सेवकों के लिये "फरलो योजना"।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 2/5 अगस्त, 2002 एवं दिनांक 25 जनवरी, 2006

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिये इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 2/5 अगस्त, 2002 एवं दिनांक 25 जनवरी, 2006 द्वारा "फरलो योजना" लागू की गयी थी। अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अतिशेष कर्मचारी है, उन पदों को छोड़कर, फरलो योजना समाप्त की जाये।

2/ जिन अधिकारी/कर्मचारियों को पूर्व से फरलो स्वीकृत है, वह स्वीकृति अवधि तक यथावत रहेगा।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग